भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4317

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन, स्टार्ट अप और स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम

अता.प्र.सं. 4317. श्री आर. ध्रुवनारायणः

श्रीमती किरण खेरः

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

श्रीमती वीणा देवीः

डा. उदित राजः

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट-अप' और 'स्टैंडअप इंडिया' कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो आवंटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक स्थापित एमएसएमई की कार्यक्रम-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) 'मेक इन इंडिया', स्टैंडअप तथा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की यथास्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों सहित मौजूदा एमएसएमई को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनेक पहल कार्य शुरू किए गए हैं। ऋण अंतर्वाह, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, विपणन सहायता तथा अवसंरचना विकास सहित इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए बड़ी संख्या में स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कार्यान्वित प्रमुख स्कीमों में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), क्रेडिट लिंक पूंजी राजसहायता स्कीम(सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम(एमएमसीपी), विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (एमएटीयू) स्कीम, क्लस्टर विकास, इन्क्यूबेटरों आदि के माध्यम से एसएमई के उद्यम तथा प्रबंधीय संबंधी विकास हेतु सहायता शामिल हैं।

स्टैंडअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आने वाली व्यापार व्यवस्था वाली इकाइयों को छोड़कर बाकी इकाइयां एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.12.2016 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4317 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत भारत को एक प्राथमिकता प्राप्त निवेश स्थल तथा एक वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने के लिए की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार तथा उच्च गुणवत्ता मानकों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। 'मेक इन इंडिया' पहल का लक्ष्य, विनिर्माण तथा उद्यमिता अर्थात नीतिगत पहलों एवं नयी प्रक्रियाएं; मजबूत अवसंरचना; फोकस सेक्टर, नयी मानसिकता/विचार; को बढ़ावा देने के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। 'मेक इन इंडिया' पहल के भाग के रूप में सभी सरकारी विभागों तथा राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि इन चुनिंदा 25 फोकस सेक्टरों में भारतीय तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य, राज्यों तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों द्वारा किए गए 'ईज आफ डूईंग बिजनेस' उपायों को प्रोत्साहित करना है।

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार तथा स्टार्टअप्स को पोषित करने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करना है जिससे टिकाऊ आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा होंगे।

इस पहल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की शुरूआत की थी।

यह कार्य योजना 19 कार्रवाई बिंदु "सरलीकरण तथा सहायता", "निधीयन सहायता तथा प्रोत्साहन" और उद्योग-शिक्षा वर्ग सहभागिता तथा इनक्युबेशन आदि क्षेत्रों से बनी है। इस कार्यक्रम के शुरूआत से, मौजूदा नीति पारिस्थितिकी में अनेक दूरदर्शी रणनीतिक संशोधन किए गए हैं, जैसे:-

1. निधियों का कोष

स्टार्टअप्स की वित्तीय सहायता करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एक कोष के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में 'स्टार्टअप के लिए निधियों के कोष (एफएफएस)' की व्यवस्था की गई है। एफएसएस विभिन्न स्टार्टअप की इक्विटी एवं इक्विटी लिंकड माध्यमों में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफएस) में योगदान करेगा। एफएसएस का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जायेगा जिसके प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सिडबी को एफएफएस कोष के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

2. स्टार्टअप्स हेतु ऋण गारंटी निधि

- चूंकि स्टार्टअप्स के लिए ऋण वित्त पोषण को उच्च जोखिम कार्य के रूप में माना जाता है इसलिए स्टार्टअप्स के लिए एक ऋण गारंटी निधि की, स्टार्टअप को ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बैंकों को ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराने के लिए, अगले 4 वर्षों में, प्रति वर्ष 500 करोड़ के बजटीय कोष के साथ, स्थापना की जा रही है।

- इस स्कीम के एक बार शुरू हो जाने के बाद, एमएसएमई की ऋण गारंटी स्कीम के तरह, स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक जरूरी ऋण प्रवाह हेतु गति प्रदान करने की संभावना है जोकि हजारों करोड़ रूपये हो सकता है।

3. स्टार्टअप्स के लिए सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मानदंडों में छूट

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के वास्ते पूर्व अनुभव/कारोबार के संबंध में मानदंडों में ढ़ील देने के लिए सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिप्राप्ति निति में (नीति प्रपत्र संख्या 1(2)(1)/2016-एमए, दिनांक 10 मार्च, 2016) प्रावधान किए गए हैं। व्यय विभाग ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मध्यम उद्यमों के संबंध में सरकारी अधिप्राप्ति मानदंडों में ढ़ील देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

4. *कर प्रोत्साहन*:

- **3 वर्ष कर छूट:**

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 80-1 एसी में स्टार्टअप्स (कंपनियां तथा एलएलपी) हेतु 5 वर्ष के एक ब्लॉक में 3 वर्ष की अवधि तक आयकर की छूट का प्रावधान है, यदि वे 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 के बीच निगमित किए गए हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से एक पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

- **एंजेल कर हटाना:**

14 जून, 2016 से स्टार्टअप्स कंपनी के शेयरों में अंकित मूल्यों से अधिक के निवेशों पर कर छूट दी गई है।

- **पूंजीगत लाभों पर कर छूट:**

वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 54 ईई आरंभ की गई है जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी फंड में निवेश की गई दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के अंतरण के कारण हुए पूंजीगत लाभ (एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये से अधिक नहीं) पर छूट का प्रावधान किया गया है।

<u>स्टैंडअप इंडिया:</u> सरकार ने 05 अप्रैल, 2016 को स्टैंडअप इंडिया स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को तथा कम से कम एक महिला को दस लाख से एक करोड़ रूपये तक का बैंक ऋण प्रदान करने की सुविधा देना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र में हो सकता है। यह स्कीम जोकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है कम से कम 2.5 लाख उधार मांगने वालों को लाभ प्रदान करेगी। यह स्कीम चालू है तथा देश भर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंध रखनेवाले उद्यमियों की कुल संख्या क्रमश: 7.12.2016 की तारीख तक 11892 , 2536 तथा 704 है।

नये उद्यम होने के कारण, स्टैंडअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत व्यापार व्यवस्था में स्थापित इकाइयों को छोड़कर बाकी इकाइयां एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। समपार्श्विक मुफ्त कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंडअप इंडिया के ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई), की स्थापना हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी(एनसीजीटीसी) को 500 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ऋण सुविधाउपलब्ध कराने के अलावा, स्टैाड अप इंडिया स्कीम में संभावित उधार मांगने वालों के लिए अन्य सहायता प्रदान करने की भी संकल्पना की गई है। इसमें केंद्रीय/राज्य सरकार की स्कीमों के साथ मिलाने हेतु भी प्रावधान है।

मकान अथवा आवासीय भूखंड, की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत आमदनी पर टैक्स छूट देने हेतु यदि सकल राशि पात्र स्टार्टअप्स के इक्विटी शेयर में निवेशित की जाती है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54जीबी में संशोधन किया गया है।

5. निम्न लागतों के संबंध में कानूनी सहायता तथा त्वरित पेटेंट जांच

स्टार्टअप्स द्वारा पेटेंट, व्यापार चिन्ह तथा डिजाइनों को त्वरित रूप से दायर करने के लिए स्टार्टअप्स बौद्धिक सम्पदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना शुरू की गई है। इस योजना में स्टार्टअप्स द्वारा दायर पेटेंटों की त्वरित जांच के लिए प्रावधान किया गया है। इससे पेटेंट प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी होगी। स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट दायर करने की फीस को भी 80% तक कम किया गया है।

पेटेंट दायर करने तथा अर्जन की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए पेटेंट एवं व्यापार चिन्ह आवेदनों के लिए सुविधाप्रदाता पैनल का गठन किया गया है। यह सुविधाप्रदाता पैनल लागत मुक्त संपूर्ण पेटेंट अर्जन प्रक्रियाओं के माध्यम से कानूनी मार्गदर्शन तथा संचालन प्रदान करेगा।

6. स्वयं-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था:

स्टार्टअप्स पर विनियामक बोझ को कम करने के उद्देश्य से पर्यावरणात्मक एवं श्रम कानूनों से संबंधित अनुपालन मानदंडों को आसान बनाया गया है जिससे कि वे अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकें तथा अनुपालन लागत को कम रखा जा सके।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 36 श्वेत श्रेणी उद्योगों की एक सूची प्रकाशित की है। 'श्वेत श्रेणी' के अंतर्गत आने वाले स्टार्टअप्स 3 पर्यावरणात्मक अधिनियमों के संबंध में स्व:अनुपालन के लिए योग्य होंगे-

- जल (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003
- वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय(एमओएलई) ने राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जहां स्टार्टअप्स को छ: श्रम कानूनों के संबंध में स्व:अनुपालन के लिए अनुमति दी जाएगी। ये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति के बाद प्रभावी होंगे। ये अधिनियम हैं:-

- भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996;
- अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979;
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972;
- संविदात्मक श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

अब तक निम्नलिखित 9 राज्यों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शी निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि कर दी है:

- राजस्थान
- उत्तराखंड
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- दिल्ली
- झारखंड
- गुजरात
- चण्डीगढ़
- दमन एवं दीव

7. इन्क्यूबेटर्स की स्थापना:

- मिशन के तहत, नीति आयोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की स्थापना करेगा। नीति आयोग को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र संगठनों से अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की स्थापना के लिए 3658 आवेदन (शैक्षणिक संस्थानों से 1719 और गैर-शैक्षणिक संस्थानों से 1939) प्राप्त हुए हैं।

- नीति आयोग के अटल नवप्रयोग मिशन के तहत केंद्रों को चलाने के लिए पूंजीगत और प्रचालनात्मक लागत का वहन करने के लिए अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रत्येक इनक्यूबेटर को 10 करोड़ रू. की अनुदान सहायता दी जाएगी। नीति आयोग को इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 232 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

8. स्टार्टअप केंद्रों तथा प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) की स्थापना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आपसी सहयोग से 14 स्टार्टअप्स केंद्र तथा 15 प्रौद्योगिकी बिजनेस इक्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे। एमएचआरडी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 14 स्टार्टअप केंद्रों में से 10 को अनुमोदित कर दिया गया है। इन स्टार्टअप केंद्रों के लिए एमएचआरडी द्वारा प्रत्येक के लिए उसका 25 लाख रूपए का हिस्सा जारी कर देने के बाद सभी स्टार्टअप केंद्रों को सहायता दी जाएगी और डीएसटी द्वारा दिसंबर, 2016 तक सभी पूरे कर लिए जाएंगे।

15 टीबीआई स्वीकृत करने का लक्ष्य दिसंबर, 2016 तक प्राप्त किए जाने की उम्मीद है।

9. अनुसंधान पार्क:

स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के अनुसार सात अनुसंधान पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7 अनुसंधान पार्कों में से आईआईटी, खड़गपुर में पहले से ही कार्यशील अनुसंधान पार्क विद्यमान है। इसके अलावा, डीएसटी आईआईटी गांधीनगर में 1 अनुसंधान पार्क स्थापित करेगी तथा शेष 5 अनुसंधान पार्कों की स्थापना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली तथा आईआईएससी, बैंगलोर में की जाएगी।

<u>स्टैंडअप इंडिया:</u> सरकार ने 05 अप्रैल, 2016 को स्टैंडअप इंडिया स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को तथा कम से कम एक महिला को दस लाख से एक करोड़ रूपये तक का बैंक ऋण प्रदान करने की सुविधा देना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र में हो सकता है। यह स्कीम जोकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है कम से कम 2.5 लाख उधार मांगने वालों को लाभ प्रदान करेगी। यह स्कीम चालू है तथा देश भर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंध रखने वाले उद्यमियों की कुल संख्या क्रमश: 7.12.2016 की तारीख तक 11892 , 2536 तथा 704 है।

नये उद्यम होने के कारण, स्टैंडअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत व्यापार व्यवस्था में स्थापित इकाइयों को छोड़कर बाकी इकाइयां एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। समपार्श्विक मुफ्त कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंडअप इंडिया के ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई), की स्थापना हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी(एनसीजीटीसी) को 500 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ऋण सुविधाउपलब्ध करानेके अलावा, स्टैाड अप इंडिया स्कीम में संभावित उधार मांगने वालों के लिए अन्य सहायता प्रदान करने की भी संकल्पना की गई है। इसमें केंद्रीय/राज्य सरकार की स्कीमों के साथ मिलाने हेतु भी प्रावधान है।

*****